कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

क्रमांक : 06 दिनांक : 16.05.2025

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ–16()/रालसा/जेएस/एलएडीसीएस/2024/8818 दिनांक 29.07.2024 एवं एफ–16()/रालसा/जेएस/एलएडीसी/2025/29074–109 दिनांक 17.03.2025 द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय हेतु निम्नानुसार कैडर के पूर्णतया अस्थायी पद अनुबंध के आधार पर स्वीकृत किए गए है–

1. ऑफिस असिस्टेन्ट – 03 (मासिक पारिश्रमिक 14,000/– पद प्रति व्यक्ति)
2. रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर – 01 (मासिक पारिश्रमिक 14,000/– पद प्रति व्यक्ति)
3. ऑफिस पिओन – 03 (मासिक पारिश्रमिक 11,000/– पद प्रति व्यक्ति)

उक्त स्वीकृत पूर्णतया अस्थायी अनुबंध के पदों हेतु कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के प्रावधानों की पालना में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को संविदा पर उक्त अस्थायी अनुबंध के पद पर निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर ली जानी हैं–

1. राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त समान संवर्ग के कर्मचारीगण

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, ऐसे इच्छुक कर्मचारीगण विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप में निम्न दस्तावेजों सहित आवेदन करें–

1. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन बाबत् एलपीसी
2. पी.पी.ओ.
3. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
4. कार्मिक के विरूद्ध प्राथमिक/विभागीय जांच नहीं होने अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र
5. वेतन निर्धारण प्रमाण पत्र जिसमें ग्रेड–पे अंकित हो।

उक्त ऑफिस असिस्टेन्ट, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं ऑफिस पिओन की सेवाएँ माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त पदों पर सेवाओं का पारिश्रमिक माननीय रालसा, जयपुर द्वारा जारी संलग्न पत्र में वर्णित सी श्रेणी जिला सवाई माधोपुर हेतु निर्धारित दर के अध्ययधीन देय होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित ऑफिस असिस्टेन्ट, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं ऑफिस पिओन की सेवाऐं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 24.05.2025 तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करें, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न– आवेदन पत्र मय विभागाध्यक्ष प्रमाण पत्र

16/5/25

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

क्रमांकः वि.से./379– 388 दिनांक: 16.05.2025

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
4. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी/बौली/बामनवास/खण्डार

5. **नोटिस बोर्ड,** कार्यालय हाजा/जिला न्यायालय/कार्यालय जिला कलेक्टर/तालुका गंगापुरसिटी/तालुका बौंली/तालुका बामनवास/तालुका खण्डार, जिला सवाई माधोपुर
6. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर को जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित है।
8. आदेश/संबंधित पत्रावली

को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

16/5/25

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप ।।

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. पता :
5. आयु :वर्ष.....माह.....दिन
6. अर्हताए :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन, ग्रेड पे) एलपीसी संलग्न है) :
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है) :
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्त के समय) :
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनो और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है

स्थान :
दिनांक :

सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमति..... पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृति से पूर्व पद पर विभाग मे कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमतिकी सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमति रूपयेमासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमतिअधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमति के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नही है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील